

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.08.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2115 का उत्तर

रेल दुर्घटनाएं

2115. श्री जगदम्बिका पाल:

श्रीमती नुसरत जहां:

श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

श्री नलीन कुमार कटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान सूचित की गई रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;
- (ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में मरने वाले, घायल, विकलांग हुए लोगों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है और यदि हां, तो इन जांचों के निष्कर्ष क्या हैं;
- (घ) ऐसी कितनी जांच अभी भी लंबित पड़ी हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई निवारक उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में रेलवे में संरक्षा और सुरक्षा उपायों में सुधार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)


(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रेल दुर्घटनाओं के संबंध में 02.08.2023 को लोक सभा में श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती नुसरत जहां, श्रीमती सुमलता अम्बरीश और श्री नलीन कुमार कटील के अतारांकित प्रश्न सं. 2115 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान, परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, हताहतों की संख्या, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या और मामूली रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या	गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या	मामूली रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या
2018-19	59	37	32	80
2019-20	55	5	21	61
2020-21 (कोविड वर्ष)	22	4	0	11
2021-2022 (कोविड वर्ष)	35	17	23	24
2022-2023	48	8	6	75

वर्ष 2000-01 से 2022-23 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:-



जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफ़ से स्पष्ट है, परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में 2000-01 में 473 से 2022-23 में 48 तक की भारी गिरावट आई है।

वर्ष 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की औसत संख्या 171 प्रति वर्ष थी, जबकि वर्ष 2014-23 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की औसत संख्या घटकर 71 प्रति वर्ष हो गई है।

(ग) और (घ): विभागीय जांच समिति और सांविधिक निकाय, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त विभिन्न दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने वाली मुख्य एजेंसियां हैं। पिछले 5 वर्षों (2018-2023) के दौरान, 201 दुर्घटना से संबंधित मामलों की जांच विभागीय जांच समिति द्वारा की गई थी और 18 मामलों की जांच रेल संरक्षा आयोग द्वारा की गई है। विभिन्न दुर्घटना जांच समितियों द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की गई है।

(ड) और (च): हाल के वर्षों में भारतीय रेल में गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम और संरक्षा एवं सुरक्षा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

संरक्षा उपाय:

1. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) को वर्ष 2017-18 में पांच वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ महत्वपूर्ण संरक्षा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/नवीकरण/उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। 2017-18 से 2021-22 तक, आरआरएसके कार्यों पर 1.08 लाख करोड़ रुपये का सकल व्यय किया गया।
2. मानव विफलता के कारण दुर्घटना रोकने के लिए 31.05.2023 तक 6427 स्टेशनों पर प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन वाले इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है।
3. समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 31.05.2023 तक 11093 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
4. संरक्षा बढ़ाने के लिए 31.05.2023 तक 6377 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए स्टेशनों की पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
5. सिगनलिंग की संरक्षा से संबंधित मामलों जैसे अनिवार्य पत्राचार जांच, वैकल्पिक कार्य प्रोटोकॉल, पूर्ण रेखाचित्र तैयार करना आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
6. प्रोटोकॉल के अनुसार एस एंड टी उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया है।
7. लोको पायलटों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।
8. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई मास्ट के बीच पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के

मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी दी जा सके।

9. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोकोमोटिव पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) की व्यवस्था की जा रही है जिससे लोको पायलट आने वाले स्थान चिह्नों जैसे सिगनल, रेल फाटकों आदि की सटीक दूरी का पता लगा सकते हैं।
10. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ (यूटीएस) रेल, प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार फास्टनिंग वाले सामान्य/चौड़ी सतह के स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।
11. मानव त्रुटियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 जैसी रेलपथ मशीनों के प्रयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यंत्रीकरण।
12. संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वैल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना।
13. लंबे रेलपथ बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वैल्डिंग के प्रयोग को कम करना और रेलपथों के लिए बेहतर वैल्डिंग तकनीकों अर्थात् फ्लैश बट वैल्डिंग अपनाना।
14. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ रिकॉर्डिंग कारों) द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी।
15. वेल्ड/रेल फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग की जाती है।
16. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में मोटे वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।
17. सुरक्षा पद्धतियों के प्रयोग हेतु कर्मचारियों की निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।
18. युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के इष्टतमीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रैक डाटाबेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है।
19. रेलपथ की संरक्षा से संबंधित मामलों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्यक्षेत्र पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

20. गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने और देशभर में रेल दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण।
21. पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।
22. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन (बीजी) मार्ग पर सभी मानवरहित समपारों (यूएमएलसी) को समाप्त कर दिया गया है।
23. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुर्नस्थापना की जाती है।
24. भारतीय रेल ने सभी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "आग संबंधी सूचनाएं" लगाई है। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए अनेक 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूमपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।
25. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैन्ट्री कारों में आग संसूचक एवं अवरोधन प्रणाली तथा नवनिर्मित डिब्बों में आग एवं धुआ संसूचक प्रणाली की व्यवस्था कर रही है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूद डिब्बों में चरणबद्ध तरीकों से प्रोग्रेसिव फिट्मेन्ट का कार्य भी चालू है।
26. कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है।
27. रोलिंग ब्लॉक अवधारणा की शुरुआत की गई है जिसमें अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर 2 सप्ताह पहले से नियोजित किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

सुरक्षा उपाय:

1. भेद्य और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों का प्रतिदिन मार्गरक्षण किया जाता है।

2. तत्काल सहायता के लिए यात्री रेल मदद पोर्टल पर सीधे या हेल्पलाइन नंबर 139 (राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकृत) के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
3. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रेलें ट्विटर, फेसबुक, कू आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए महिलाओं सहित यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं।
4. चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के विरुद्ध सावधानियां बरतने हेतु यात्रियों को जागरूक करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर घोषणाएं की जाती हैं।
5. यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 7264 सवारी डिब्बों तथा 866 रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है।
6. 'मेरी सहेली' पहल के अंतर्गत, अपनी पूरी यात्रा अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक ट्रेनों से अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
7. क्षेत्रीय रेलों को जहां तक संभव हो, गाड़ी मार्गरक्षक पार्टियों में उचित संयुक्त संख्या में पुरुष और महिला आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं।
8. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा करने के लिए संबंधित पुलिस महानिदेशक/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है।

समग्र संरक्षा निष्पादन और निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं	मद	इकाई	वित्त वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान		वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान		2004-14 की अवधि के साथ 2014-23 की अवधि की तुलना
			10 वर्षों के लिए संचयी	औसत प्रति वर्ष	9 वर्षों के लिए संचयी	औसत प्रति वर्ष	
क.	रेलपथ अनुरक्षण						
1.	रेलपथ नवीकरण पर व्यय	करोड़ रुपये में।	47,018	4,702	91,809	10,201	2.2 गुना

2.	रेल नवीकरण प्राथमिक	टीकेएम	32,260	3,226	37,284	4,143	1.3 गुना
3.	उच्च गुणवत्ता पटरियों का उपयोग (60 किलोग्राम)	कि.मी	57,450	5,745	1,23,717	13,746	2.4 गुना
4.	लंबे रेल पैनल (260 मीटर)	कि.मी	9,917	992	68,233	7,581	7.7 गुना
5.	यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) रेल का परीक्षण	टीकेएम	20,19,630	2,01,963	26,52,291	2,94,699	1.5 गुना
6.	यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) वेल्ड्स का परीक्षण	अदद	79,43,940	7,94,394	1,73,06,046	19,22,894	2.4 गुना
7.	रेलपथ कि.मी. जोड़े गए	टीकेएम	14,985	1,499	25,871	2,875	1.9 गुना
8.	वेल्ड विफलताएं	अदद	2013-14 में: 3699		2022-23 में: 724		80% कमी
9.	पटरी में दरार	अदद	2013-14 में: 2548		2022-23 में: 531		79% कमी
10	मोटे वेब स्विच	अदद	कुछ नहीं	कुछ नहीं	15,146	1,683	
11	ट्रैक मशीनें	अदद	31.03.14 के अनुसार = 748		31.03.23 के अनुसार = 1548		2.1 गुना
ख.	समपार फाटक को समाप्त करना						
1.	मानव रहित समपार फाटकों का उन्मूलन	अदद	31.03.2014 के अनुसार: 8948		31.03.2023 के अनुसार: कुछ नहीं (31.01.19 तक सभी समाप्त)		100% कमी
2.	मानवयुक्त समपार फाटकों को समाप्त करना	अदद	1,137	114	6,291	699	6.2 गुना
3.	ऊपरी सड़क पुल	अदद	4,148	415	10,867	1,207	2.9 गुना

	(अर्थात फलाईओवर)/निचले सड़क पुल (अर्थात अंडरपास) का निर्माण						
4.	समपार समाप्त करने के कार्य पर व्यय	करोड़ रु.में	5,726	573	30,602	3,400	5.9 गुना
ग.	पुल का पुनर्स्थापन						
1.	पुल पुनर्स्थापन पर खर्च	करोड़ रु.में	3,919	392	6,380	709	1.8 गुना
घ.	सिग्नलिंग कार्य						
1.	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग	स्टेशन	837	84	2,521	280	3.3 गुना
2.	स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग	कि.मी	1,486	148.6	1,915	212.8	1.4 गुना
3.	फॉग पास संरक्षा उपकरण	अदद	31.03.14 के अनुसार : 90		31.03.23 के अनुसार : 19,742		219 गुना
ड	चल स्टॉक						
1.	एलएचबी कोच का विनिर्माण	अदद	2,337	234	31,956	3,551	15.2 गुना
2.	सवारी डिब्बों में आग और धुंआ संसूचक प्रणाली का प्रावधान	सवारी डिब्बों की संख्या	0	0	12,711	1,412	
3.	पेंटी और पावर कारों में आग संसूचन और शमन प्रणाली का प्रावधान	सवारी डिब्बों की संख्या	0	0	2,635	293	
4.	गैर-वातानुकूलित	सवारी	0	0	39,819	4,424	

	सवारी डिब्बों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था	डिब्बों की संख्या					
ड	रेलवे निवेश के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस वित्त वर्ष 23-24: 2.4 लाख करोड़ रुपये)	करोड़ रु.में	1,56,739	15,674	8,25,967 (ब.अ 23-24 सहित)	82,597	5.3 गुना
च.	संरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय	करोड़ रु.में	70,273	7,027	1,78,012 (ब.अ 23-24 सहित)	17,801	2.5 गुना
